

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 783]	नई दिल्ली <i>,</i> शुक्रवार, सितम्बर 15, 2017/भाद्र 24, 1939
No. 783]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2017/BHADRA 24, 1939

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड) अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

सं. 35/2017- केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1164(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) और अधिसूचना संख्या 21/217-केन्द्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 997(अ) तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करता है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	मास	प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख
1	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017
2	सितंबर, 2017	20 अक्तूबर, 2017
3	अक्तूबर, 2017	20 नवंबर, 2017
4	नवंबर, 2017	20 दिसंबर, 2017
5	दिसंबर, 2017	20 जनवरी, 2018

5741 GI/2017 (1)

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का संदाय: प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा दी गई अंतिम तारीख जिस तक उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, से पूर्व यथास्थिति इलैक्ट्रानिक रोकड़ बही या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही के नामे खाते डालकर करेगा।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2017

No. 35/2017-Central Tax

G.S.R. 1164(E).—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 and notification No. 21/2017-Central Tax dated the 08th August, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. number 997 (E), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal on or before the last dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

THEE				
Sl. No.	Month	Last Date for filing of return in FORM GSTR-3B		
(1)	(2)	(3)		
1.	August, 2017	20 th September, 2017		
2.	September, 2017	20 th October, 2017.		
3.	October, 2017	20 th November, 2017		
4.	November, 2017	20 th December, 2017.		
5.	December, 2017	20 th January, 2018		

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as detailed in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

[F. No. 349/74/2017-GST(Pt.)] Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.